न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **आलोक रंजन,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 009/2026 (रे.वि.निर्वाचन अपील)
पंजीयन दिनांक 20.02.2026
G.C.M.S. No :- 2026/56

कालूलाल पिता होकमा जी जाति मीणा उम्र वयस्क, निवासी रघुनाथपुरा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थी

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत), एस. डी. एम. गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

अपील विरूद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार, आदेश दिनांक 14.02.2026 निर्वाचन नामावली में नाम स्थान परिवर्तन अमरपुरा पंचायत करतियास से रघुनाथपुरा गांव में करने के आवेदन को निरस्त करने से

उपस्थितिः 1– अपीलार्थी स्वयं
2–राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 10.03.2026

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आशय की प्रस्तुत की गई है कि अपीलार्थी का नाम ग्राम अमरपुरा, ग्राम पंचायत करतियास, तहसील गंगरार के वार्ड संख्या 07 में अंकित रहा। अपीलार्थी का निवास का मकान ग्राम अमरपुरा एवं ग्राम रघुनाथपुरा दोनों जगह है अपीलार्थी ने संबंधित बी. एल. ओ. को ग्राम अमरपुरा से उसका व उसकी पत्नि का नाम हटवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे बी. एल. ओ. द्वारा अस्वीकार कर दिया तथा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 009/2026 (रे.वि.निर्वाचन अपील)
कालूलाल पिता होकमा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा, तहसील गंगरार बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत), एस. डी. एम. गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

बी. एल. ओ. रघुनाथपुरा को पुनः आवेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी व उसकी पत्नि का नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे भी संबंधित बी. एल. ओ. रघुनाथपुरा के द्वारा प्रार्थना पत्र/दस्तावेज लेने से स्पष्ट तौर पर इन्कार कर दिया। इन्कार करने पर अपीलार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के समक्ष आवेदन पेश कर अपीलार्थी व उसकी पत्नि का नाम ट्रांसफर कर जोड़ने के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.02.2026 से अस्वीकार कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी व उसकी पत्नि का नाम ग्राम अमरपुरा से हटवाकर ग्राम रघुनाथपुरा में जुडाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार से संबंधित अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी का निवास का मकान ग्राम अमरपुरा एवं ग्राम रघुनाथपुरा दोनों जगह है। प्रार्थी ने संबंधित बी. एल. ओ. को ग्राम अमरपुरा से उसका व उसकी पत्नि का नाम हटाने हेतु दिनांक 22.07.2025 को प्रथम ऑनलाईन आवेदन किया जिसे दिनांक 29.07.2025 को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 10.01.2026 को द्वितीय आवेदन जरिये ऑनलाईन संबंधित बी. एल. ओ. ग्राम रघुनाथपुरा को प्रस्तुत कर उसका व उसकी पत्नि का नाम ग्राम रघुनाथपुरा में जोड़ने हेतु पेश किया किन्तु बी. एल. ओ. रघुनाथपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र/दस्तावेज लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया बी. एल. ओ. द्वारा इन्कार करने पर अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी गंगरार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में अपीलार्थी की पत्नि का नाम विधानसभा बेगूं में ग्राम अमरपुरा में वार्ड नम्बर 07 में अंकित है तथा विगत पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली 2020 में वार्ड संख्या 05 में क्रमांक 186 पर अपीलार्थी व क्रमांक 190 पर उसकी पत्नि का नाम अंकित है जिसको हटाकर अपीलार्थी अपना नाम रघुनाथपुरा में उसका आवासीय मकान वार्ड नं. 02 में स्थित होने से वार्ड नं. 02 निर्वाचन नामावली पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जुडवाना चाहता है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा AERO गंगरार से रिपोर्ट ली गई तथा AERO की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी कालूलाल पिता होकमा मीणा ग्राम रघुनाथपुरा का निवासी नहीं होकर ग्राम अमरुपरा के वार्ड नम्बर 07 का निवासी है। मतदाता सूची पंचायत के वार्ड 07 में क्रम 13 पर नाम दर्ज है उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित होकर अपीलार्थी के निवास स्थल का निरीक्षण स्पष्ट रूप से किये बिना ही प्रतिकूल एवं तथ्यहीन रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 14.02.2026 को निरस्त कर दिया जो

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। रघुनाथपुरा में अपीलार्थी ने अपने परिवार का राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, आधार कार्ड एवं मूल निवास भी बनवा रखा है इन सभी दस्तावेज से यह तथ्य भलीभांति प्रमाणित हो जाता है कि अपीलार्थी ग्राम रघुनाथपुरा का स्थाई निवासी है इसके बावजूद भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एस. डी. एम. गंगरार ने बिना किसी आधार के अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना उक्त आवेदन खारिज कर दिया जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एस. डी. एम. गंगरार का आदेश दिनांक 14.02.2026 निरस्त कर अपीलार्थी व उसकी पत्नि का नाम ग्राम अमरुपरा से हटवा कर ग्राम रघुनाथपुरा में जुडवाने का आदेश प्रदान करावें।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि अपीलार्थी के ग्राम अमरपुरा में निवास के स्पष्ट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में तथा अपीलार्थी के आवेदन की जांच बी. एल. ओ./प्रगणक, सुपरवाईजर, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक से करवाई गई जिसके अनुसार अपीलार्थी का कोई मकान रघुनाथपुरा में नहीं होना पाया गया तथा ना ही वहां निवास करना पाया गया जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। अतः अपील खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अपीलार्थी ग्राम अमरपुरा में निवास नहीं करना व्यक्त कर, अपना नाम ग्राम अमरपुरा हटवाना चाहते हैं तथा अपने को ग्राम रघुनाथपुरा का निवासी मानते हुए ग्राम रघुनाथपुरा में अपना नाम सम्मिलित करवाना चाहते हैं। अपीलार्थी की ओर से ग्राम रघुनाथपुरा में रहने की पुष्टि में राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं श्री रामचन्द्र पिता घीसा कुमावत निवासी रघुनाथपुरा के आवासीय मकान का अपीलार्थी के पक्ष में अपंजीकृत विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत की।

उक्त अभिलेख/दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का राशन कार्ड दिनांक 30.01.2026 का बना हुआ है, मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 13.01.2026 को बना, जाति प्रमाण पत्र दिनांक 29.01.2026 का बना तथा आधार कार्ड में निवास परिवर्तन/अद्यतन करने हेतु संशोधित कार्ड दिनांक 22.07.2025 का बना हुआ है साथ ही जो आवासीय मकान श्री रामचन्द्र पिता घीसा कुमावत निवासी रघुनाथुपरा से क्रय करना बताते हुए अपंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किया है वह भी दिनांक 23.01.2026 को निष्पादित किया गया है जो कि सभी (आधार कार्ड के अलावा) निर्वाचक नामावली की अर्हता दिनांक 01.01.2026 के बाद के होना स्पष्ट प्रतिवेदित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 009/2026 (रै.वि.निर्वाचन अपील)
कालूलाल पिता होकमा जाति मीणा निवासी रघुनाथपुरा, तहसील गंगरार बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत), एस. डी. एम. गंगरार, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के आधार पर AERO गंगरार को जांच हेतु निर्देश देने पर AERO गंगरार द्वारा बी. एल. ओ./प्रगणक, सुपरवाईजर, पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक से जांच करवाई गई उक्त जांच में भी सभी ने अपीलार्थी का कोई मकान रघुनाथपुरा में नहीं होना तथा ना ही अपीलार्थी का वहां निवास करना, अवगत कराया गया है एवं इस आधार पर ग्राम अमरपुरा से नाम हटाकर ग्राम रघुनाथपुरा में नाम जोड़ने का आवेदन अस्वीकार किया है।

अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने की दिनांक 10.01.2025 से पूर्व उसके ग्राम रघुनाथपुरा में निवास करने की पुष्टि होती हो तथा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वे सभी अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पश्चात् के हैं जो अपीलार्थी के रघुनाथपुरा में उसके सामान्य निवास को प्रमाणित नहीं करते हैं एवं पंचायत पुनर्गठन के पश्चात अनुचित लाभ प्राप्त करने की नियत से तैयार कराना प्रतीत होते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से उसका ग्राम रघुनाथपुरा में निवास सुस्पष्ट सिद्ध नहीं पाया जाने से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (पंचायत) एस. डी. एम. गंगरार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2026 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(आलोक रंजन)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official